www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-10* *October 2025***

पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की भूमिकाः समाजशास्त्रीय विश्लेषण

महेन्द्र प्रताप सिंह

शोधार्थी समाजशास्त्र, अकबरपुर डिग्री कॉलेज अकबरपुर, कानपुर देहात

डॉ0 रश्मि पाण्डेय

असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर डिग्री कॉलेज, अकबरपुर, कानपुर देहात

सारांश

मई 2016 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने बालों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पीएमयूवाई की शुरुआत की गई थी। परिवारों, विशेषकर महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। बीपीएल परिवारों की एक करोड़ महिला सदस्य शामिल हैं। इसके बाद, इस योजना का विस्तार किया गया। अप्रैल 2018 में सात और श्रेणियों (एससी/एसटी, पीएमएवाई, एएवाई, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी और द्वीप समूह)। इसके अलावा, लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। यह लक्ष्य 2018–19 में हासिल किया गया। अगस्त 2019, जो लक्ष्य तिथि से सात महीने पहले है। वित्त वर्ष 23–24 के केंद्रीय बजट में अतिरिक्त एक करोड़ एलपीजी का प्रावधान पीएमयूवाई योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन की घोषणा की गई। पीएमयूवाई कनेक्शन (उज्ज्वला 2.0 के तहत) का उद्देश्य जमा–मुक्त एलपीजी प्रदान करना है उन निम्न आय वाले परिवारों को कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे जो इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो सके। पीएमयूवाई के पहले चरण में सरकार ने देश में एलपीजी की खपत बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। अपनी शुरुआत में, इस कार्यक्रम से भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी। अगले तीन वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की व्यावसायिक वृद्धि का अनुमान है। वर्ष। इस वृद्धि को 'मेक इन इंडिया' के साथ इसके संरेखण से और भी बल मिलता है। अभियान। सभी घटक–सिलेंडर, गैस स्टोव, रेगुलेटर और गैस होज–भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित, जिससे घरेलू बाजार को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा उद्योगों को बढ़ावा देना और देश के आर्थिक विकास में योगदान देना। अपनी शुरुआत के बाद से, पीएमयूवाई ने एलपीजी की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है पूरे भारत में। इस कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित करना था, लेकिन इसकी सफलता के कारण बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कनेक्शन कर दिया गया। उच्च मांग। कार्यक्रम के पहले चरण के अंत तक, च्डन्ल ने सफलतापूर्वक स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा उपलब्ध कराकर लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव लाया ईंध न, पारंपरिक ईंधन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना, और बढ़ावा देना पर्यावरणीय स्थिरता।

पीएमयूवाईः एक परिचय

''मैं एक बहुत ही साधारण घर में पैदा हुआ था जहाँ कोई खिड़धकियाँ नहीं थीं और केवल एक दरवाजा। मेरी माँ खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाती थीं। कभी–कभी, धुआँ इतना घना होता था जब हमारी माँ हमें खाना परोसती थीं, तो हम उन्हें देख भी नहीं पाते थे। मैं ऐसे खाता था बचपन में। इसलिए, मैंने इन माताओं के दर्द को अनुभव किया है और जिया है। बच्चों में इन माँओं को इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद कराना चाहता

हूँ और इसीलिए हम 8 करोड़ परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है।''

–माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विश्व की जनसंख्या का एक उल्लेखनीय भाग, विशेष रूप से विकासशील देशों में, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन सहित आधुनिक ऊर्जा संसाधनों तक पहुंचने में चुनौतियां। वैश्विक स्तर पर, लगभग 2.8 बिलियन व्यक्तियों के पास स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच नहीं है, अकेले भारत में 800 मिलियन लोग लकड़ी जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन पर निर्भर हैं, गोबर के उपले और कोयला (विश्व ऊर्जा आउटलुक, 2017)। इन पर निर्भरता पारंपरिक ईंधन स्रोतों से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है बल्कि इससे स्वास्थ्य संबंधी काफी जोखिम उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए, जो दैनिक आधार पर हानिकारक इनडोर वायु प्रदूषण के संपर्क में लंबे समय तक रहना। इस गंभीर चिंता का समाधान करने और स्वच्छ भारत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खाना पकाने के ईंधन के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ साझेदारी की है। विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की (पीएमयूवाई)। यह कार्यक्रम मुफ्त तरलीकृत पेट्रोलियम प्रदान करने का प्रयास करता है आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले परिवारों में रहने वाली महिलाओं को गैस (एलपीजी) कनेक्शन देश भर में।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है भारत सरकार का कार्यक्रम महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है पारंपरिक उपचारों के स्थान पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाना स्वच्छ और कुशल तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के साथ लकड़ी और गोबर जैसे खाना पकाने के ईंधन (एलपीजी) और प्रमुख खाना पकाने के माध्यम के रूप में एलपीजी को अपनाने को बढ़ावा देना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शुरू की गई यह योजना एक समन्वित प्रयास का प्रतीक है। लोगों के बीच स्वच्छ और स्वस्थ खाना पकाने की प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास आर्थिक रूप से वंचित परिवार। इस पहल का प्राथमिक नारा है स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन (स्वच्छ ईंधन) बेहतर जीवन (ठमजजमत स्पमि), इसके सार को बखूबी दर्शाता है। स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करके, कार्यक्रम का उद्देश्य अपने लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। उल्लेखनीय है कि इस पहल के माध्यम से प्रदान किए गए कनेक्शन महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं बीपीएल परिवारों से सीधे तौर पर उन्हें सशक्त बनाना।

पिछले दशक में, उत्तरोत्तर सरकारों ने लोगों तक पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हर घर तक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन पहुंचाना, शहरी, अर्थ–शहरी, विभिन्न पहलों के माध्यम से ग्रामीण आबादी तक पहुँच बनाई गई है। कई योजनाएँ एलपीजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उल्लेखनीय कार्यक्रम शुरू किए गए जो निम्नवत् हैं–

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी): यूपीए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया 2009 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कवरेज का विस्तार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए लघु–स्तरीय एलपीजी वितरण एजेंसियों की स्थापना पर और दूरस्थ तथा आर्थिक रूप से कम व्यवहार्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।

दीपम योजना: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित, दीपम योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। खाना पकाने के लिए जंगल की लकड़ी पर निर्भरता कम करना। राज्य सरकार मानती है कि इसके अंतर्गत चयनित लाभार्थियों की ओर से तेल विपणन कंपनियों को सुरक्षा जमा भुगतान पहल। ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई 1999 में और शहरी क्षेत्रों में फरवरी से शुरू की गई 2000 में शुरू की गई यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है।

पहल योजना: पहल (प्रत्यक्ष हस्तान्तरित लाभ) योजना भी एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) योजना के रूप में जानी जाने वाली यह एक पहल है भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य सीधे प्रदान करना है पात्र उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी प्रदान करना, जिससे लीकेज पर अंकुश

लगे और यह सुनिश्चित हो कि लाभ उनके इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे।

गिव इट अप अभियान : गिव इट अप अभियान, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया भारत ने 2015 में संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपनी एलपीजी गैस छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया सब्सिडी। इसका उद्देश्य इन सब्सिडी को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए पुनर्निर्देशित करना है वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता की अधिक आवश्यकता है।

2020 में कोविड–19: लॉकडाउन के दौरान, प्रधान नामक एक विशेष कार्यक्रम मंत्री गरीब कल्याण योजना ने परिवारों को सहायता देने के लिए निःशुल्क रिफिल योजना प्रदान की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नामांकित। इस पहल ने वित्तीय सहायता प्रदान की कुल 9670.41 करोड़ रुपये की सहायता, जिससे लाभार्थियों को 14.17 करोड़ रुपये प्राप्त करने में मदद मिलेगी मुफ्त एलपीजी रिफिल। (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2024)

पीएमयूवाई के उद्देश्य

पीएमयूवाई का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। परिवारों के लिए 2016–17 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था देश भर में बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। योजना इसके अतिरिक्त, निःशुल्क एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वित्तीय वर्ष 2020–26 के दौरान बीपीएल परिवारों की 1.5 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंचः पीएमयूवाई का प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच प्रदान करना है। बीपीएल परिवारों को स्वच्छ और टिकाऊ खाना पकाने के ईंधन तक पहुँच प्रदान करना। इनडोर वायु प्रदूषण और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है।
- स्वास्थ्य सुधारः शोध से पता चलता है कि ठोस बायोमास का लगातार उपयोग सिरदर्द, मतली, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और त्वचा जैसी बीमारियों का कारण बनता है बीमारियाँ। एलपीजी अपनाने से घर के अंदर वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम कम हो जाते हैं। पारंपरिक ईंधन की जगह, पीएमयूवाई का उद्देश्य घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम करना है, जो श्वसन संबंधी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में।
- महिला सशक्तिकरणः पीएमयूवाई महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है उन्हें खाना पकाने के ईंधन के निर्णयों पर नियंत्रण देकर और उनकी लागत कम करके पारंपरिक खाना पकाने के खतरों के संपर्क में आना।
- पर्यावरणीय क्षरण को कम करनाः पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण में योगदान देता है। च्डन्ल् मदद करता है वनों का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमीः एलपीजी को बढ़ावा देकर, जो कि स्वच्छ ईंधन के रूप में, पीएमयूवाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में योगदान देता है और जलवायु परिवर्तन को कम करना।
- स्वास्थ्य व्यय में कमीः इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य व्यय में कमी लाना है घर के अंदर की हवा से होने वाली बीमारियों को रोककर बीपीएल परिवारों के खर्च को कम करना प्रदूषण।
- सुरक्षा और गरिमाः पारंपरिक ईंधन की तुलना में एलपीजी अधिक सुरक्षित खाना पकाने वाला ईंधन है। मिट्टी के तेल और लकड़ी जैसे ईंधनों का उपयोग करने से आग लगने का खतरा कम हो जाता है। योजना से महिलाओं के सामने आने वाले यौन उत्पीड़न जैसे खतरों में उल्लेखनीय कमी आएगी जंगलों में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना।
- जीवन की बेहतर गुणवत्ताः स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने की थकान को कम करके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार खाना पकाने में बिताया गया समय।
- वित्तीय समावेशनः पीएमयूवाई का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। बीपीएल परिवारों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि सब्सिडी सीधे तौर पर दी जाती है बैंक खातों में

स्थानांतरित कर दिया गया।

- रोजगार सृजनः यह योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है वितरण और खुदरा सहित एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला में नौकरियां पैदा करना।
- ग्रामीण विकासः पीएमयूवाई ग्रामीण विकास में योगदान देता है ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- शिक्षाः एलपीजी तक पहुंच बच्चों को पढ़ाई पर अधिक समय बिताने में सक्षम बनाती है। वे लकड़ी इकट्ठा करने या पारंपरिक चूल्हे की देखभाल करने के बजाय शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं।
- ऊर्जा दक्षताः एलपीजी पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल है, इससे बीपीएल परिवारों के लिए समय की बचत होगी।
- धुआं रहित खाना पकानाः पीएमयूवाई धुआं रहित खाना पकाने को बढ़ावा देता है, जो न केवल यह न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि समग्र खाना पकाने के अनुभव को भी बढ़ाता है।
- शिशु मृत्यु दर में कमीः घर के अंदर वायु प्रदूषण के कम संपर्क से शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, क्योंकि श्वसन संबंधी बीमारियाँ मृत्यु का एक प्रमुख कारण हैं।
- मातृ मृत्यु दर में कमीः यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है बीपीएल महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करके मातृ मृत्यु दर को कम करना।
- स्वच्छताः एलपीजी तक पहुंच बेहतर स्वच्छता प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है क्योंकि यह स्वच्छ है खाना पकाने के वातावरण को बेहतर बनाने से अक्सर घर अधिक स्वच्छ बनते हैं।
- सामाजिक समावेशनः पीएमयूवाई बीपीएल को लक्षित करके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है परिवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

पीएमयूवाई लाभार्थियों की पात्रता मानदंड

- आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु की भारतीय महिला नागरिक होनी चाहिए।
- वह गरीबी रेखा से नीचे वर्गीकृत परिवार से संबंधित होनी चाहिए, जिसमें कोई गरीबी रेखा न हो। घर में मौजूदा एलपीजी कनेक्शन।
- परिवार की कुल मासिक आय निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। केन्द्र शासित प्रदेशध्राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित।
- आवेदक का नाम SECC (सामाजिक–आर्थिक जाति) में शामिल होना चाहिए जनगणना)–2011 द्वारा बनाए गए बीपीएल डेटाबेस में विवरण की सूची बनाएं और उसका मिलान करें। तेल विपणन कंपनियां।
- आवेदक को किसी अन्य समान सरकारी योजना से लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, आवेदक को अपने पंजीकरण की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करना होगा। बीपीएल स्थिति, पहचान, आदि।

पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की भूमिका

तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) इस नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)। ओएमसी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हैं–

- **एलपीजी कनेक्शन जारी करनाः** तेल विपणन कंपनियां पात्र लोगों को एलपीजी कनेक्शन जारी करती हैं। लाभार्थियों को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। वे सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर रिफिल भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक लाभार्थी को हर साल। तेल विपणन कंपनियां अपने दावे पेट्रोलियम मंत्रालय को प्रस्तुत करती हैं। जारी/स्थापित कनेक्शनों के लिए योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) पीएमयूवाई के तहत मासिक 1000 भुगतान किया जायेगा।
- **कनेक्शन सेटअपः** ओएमसी एलपीजी कनेक्शन की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है पीएमयूवाई लाभार्थियों के परिवारों को गैस चूल्हा उपलब्ध कराना भी इसमें शामिल है और पहले सिलेंडर के साथ नियामक।

- **एलपीजी कनेक्शन और सिलेंडरों का वितरणः** ओएमसी के पास व्यापक देश भर में खुदरा दुकानों का नेटवर्क, जिसका उपयोग वे एलपीजी वितरित करने के लिए करते हैं लाभार्थियों को कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं। उनके पास एक समर्पित ग्राहक सेवा टीम लाभार्थियों को उनकी किसी भी समस्या में मदद करने के लिए चेहरा।
- **जागरूकता और प्रशिक्षणः** ओएमसी इसके संचालन के लिए भी जिम्मेदार है सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों जो इसमें प्रचार और विमोचन के लिए विभिन्न स्थानों पर 'मेलों' का आयोजन शामिल है जनता की उपस्थिति में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को पीएमयूवाई कनेक्शन प्रदान किए गए क्षेत्र के प्रतिनिधियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को भी बढ़ावा दे रही हैं। सुरक्षा कनीनिक/सिविर और एलपीजी पंचायत के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा जेल विपणन कंपनियां राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक देयता बीमा कवर लिया है एलपीजी से संबंधित दुर्घटनाओं के मामले में पंजीकृत/प्रभावित व्यक्तियों को।
- **दस्तावेजीकरण और सब्सिडी प्रबंधनः** ओएमसी इसका प्रबंधन करती हैं पीएमयूवाई योजना के दस्तावेजीकरण और सब्सिडी पहलुओं में सहायता करते हैं। लाभार्थियों को आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने और सब्सिडी सुनिश्चित करने में मदद करना लाभार्थियों के खातों में जमा कर दिए जाते हैं। तेल विपणन कंपनियां ईएमआई प्रदान करती हैं स्टोव और पहली रिफिल की लागत को पूरा करने की सुविधा।
- **बुनियादी ढांचे का विस्तारः** ओएमसी अपने विस्तार के लिए जिम्मेदार हैं नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने सहित बुनियादी ढांचे तक पहुंचने के लिए दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच बढ़ेगी, जिससे पीएमयूवाई तक एलपीजी की पहुंच बढ़ेगी लाभार्थियों।
- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधनः तेल विपणन कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं सभी लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडरों की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति, जो दूरदराज और चुनौतीपूर्ण इलाकों में हैं।
- **सुरक्षा उपायः** एलपीजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तेल विपणन कंपनियों की है। वे सुरक्षा जाँच, निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलाते हैं दुर्घटनाओं को रोकना और एलपीजी के सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देना।
- **फीडबैक और शिकायत निवारणः** ओएमसी फीडबैक एकत्र करती हैं लाभार्थियों से संपर्क करें और एलपीजी वितरण से संबंधित उनकी शिकायतों का समाधान करें वे शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र बनाए रखते हैं।
- **निगरानी और रिपोर्टिंगः** तेल विपणन कंपनियां नियमित रिपोर्ट और डेटा उपलब्ध कराती हैं। लाभार्थियों की संख्या सहित पीएमयूवाई योजना की प्रगति, वितरण और सब्सिडी उपयोग की जानकारी सरकारी प्राधिकारियों को दी जाएगी।

पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में तीन तेल विपणन कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैंः

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल): आईओसीएल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पीएमयूवाई की सफलता। 16 दिसंबर तक, आईओसीएल ने 3 करोड़ से अधिक जारी किए है इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन कुल कनेक्शनों का 60 प्रतिशत से अधिक है। पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए कनेक्शन। इसके अतिरिक्त, आईओसीएल ने एक योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समर्पित पीएमयूवाई सेल और उत्पन्न होने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करना।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल): एचपीसीएल ने भी पीएमयूवाई के लाभार्थियों के बीच एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की गईं लाभार्थियों, जैसे कि ''उज्ज्वला साथी'' कार्यक्रम, जो प्रदान करता है लाभार्थियों को एलपीजी का सुरक्षित और कुशलतापूर्वक उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भारत पेट्रोलियम कॉपरिशन लिमिटेड (बीपीसीएल): बीपीसीएल ने एक लॉन्च किया है पीएमयूवाई

लाभार्थियों के बीच एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल, जैसे ''उज्ज्वला स्वराज'' कार्यक्रम, जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है लाभार्थियों को एलपीजी स्टोव और रिफित खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पीएमयूवाई की सफलता में तेल विपणन कंपनियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का कार्यान्वयन हो, सरकार के साथ मिलकर काम करें प्रभावी ढंग से हो और सभी पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिले। वे सुचारू रूप से काम सुनिश्चित करते हैं बीपीएल परिवारों तक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति, वितरण और सुरक्षित उपयोग, इस प्रकार स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में योगदान दिया जा रहा है। इससे लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ खाना पकाने की पद्धति में भी सुधार होगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की मुख्य विशेषताएं

योजना की आवश्यक विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

1. सरकार गैस कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है कनेक्शन, प्रशासनिक लागत को कवर करना।
2. इस योजना में तेल विपणन कंपनियों से ब्याज मुक्त ऋण शामिल हैं ये रिफिलिंग और स्टोव खरीद दोनों के लिए उपलब्ध हैं।
3. लाभार्थियों के पास स्टोव के लिए ईएमआई सुविधा का विकल्प है और पहली रिफिल लागत।
4. उज्ज्वला 2.0 के तहत, लाभार्थियों को जमा–मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्राप्त होगा साथ ही प्रथम रिफिल और हॉटप्लेट भी निःशुल्क मेलेगा।
5. पीएमयूवाई 2.0 के लिए नामांकन में न्यूनतम कागजी कार्रवाई शामिल है, प्रवासियों के साथ राशन कार्ड या पते का प्रमाण देने से छूट दी गई है। इसके बजाय, उन्हें ''पारिवारिक घोषणा'' और ''पते के प्रमाण के लिए स्व–घोषणा प्रस्तुत करें।
6. यह योजना विभिन्न वितरकों और वितरकों के सभी पात्र परिवारों को शामिल करती है सिलेंडर क्षमता (जैसे, 14.2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम), राष्ट्रव्यापी प्रयोज्यता और पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता देने पर ध यान केन्द्रित किया जाएगा।
7. यह पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने में।
8. संशोधित योजना में अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अंत्योदय अन्न जैसी पहल योजना (एएवाई), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और चाय बागान पूर्व जनजातियों, वनवासी, द्वीप और नदी निवासी।
9. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 14 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त एल.पी.जी. कोविड–19 के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों को रिफिल वितरित किए गए महामारी।

इस अवधि में पीएमयूवाई की प्रगति

पीएमयूवाई लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए इसने पीएमयूवाई लाभार्थियों को मुफत रिफिल प्रदान किया है। कोविड–19 महामारी के दौरान लाभार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, प्रति व्यक्ति पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी की खपत 2018 में 3.01 से बढ़कर 2019 में 2.51 हो गई है। 2016–17 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) 2022–25 इन वर्षों के रुझानों और बदलावों को समझते हैं:

2016–17 (3.11 करोड़): यह पीएमयूवाई का उद्घाटन वर्ष था, और इसमें पात्र लाभार्थियों को 3.11 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए। योजना कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान इसे महत्वपूर्ण गति मिली।

2017–18 (2.71 करोड़): दूसरे वर्ष में भी पीएमयूवाई का प्रदर्शन जारी रहा 2.71 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करके महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। योजना अपनी गति बनाए रखी, हालांकि इसमें थोड़ी कमी आई पिछले वर्ष की तुलना में।

2018–19 (1.48 करोड़): जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या में कमी आई 2018–19 में 1.48 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। यह गिरावट विभिन्न कारणों से हुई पात्र जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण भाग तक पहुँचना सहित कारक और संभावित बजट बाधाएं।

2019–20 (0.8 करोड़): जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या में और कमी आई 2019–20 में 0.8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। यह हो सकता था बजट की कमी, कुछ क्षेत्रों में संतृप्ति जैसे कारकों से प्रभावित, और मौजूदा लाभार्थियों के लिए बाद में रिफिल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

2020–21 (0.75 करोड़): कनेक्शन जारी करने की दर अपेक्षाकृत स्थिर रही 2020–21 में 0.75 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। यह दर्शाता है कि सरकार ने स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। कोविड–19 महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी, हमें इसकी आवश्यकता है।

2021–22 (0.79 करोड़, उज्ज्वला 2.0): वित्तीय वर्ष 2021–22 में, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 योजना शुरू की, जो पीएमयूवाई योजना का विस्तार है। इसके परिणामस्वरूप जारी किए गए एलपीजी कनेक्सानों की संख्या में वृद्धि हुई। 0.799716 करोड़। उज्ज्वला 2.0 में अतिरिक्त सुविधाएँ शामिल हो सकती हैं या विशिष्ट समूहों को लक्षित किया गया।

2022–23 (0.47 करोड़): वित्तीय वर्ष 2022–23 में एल.पी.जी. की संख्या जारी किए गए कनेक्शन घटकर 0.47 करोड़ रह गए। यह गिरावट निम्नलिखित कारणों से प्रभावित है: सरकार की उभरती प्राथमिकताओं और विभिन्न कारकों जैसे योजना के अंतर्गत कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति।

स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने और बेहतर खाना पकाने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इन वर्षों में कमजोर परिवारों के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया है, और योजना का प्रभाव सिर्फ कनेक्शनों की संख्या तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें यह भी शामिल है जागरूकता में वृद्धि, घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी और सुधार जैसे कारक लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य परिणाम।

उत्तर प्रदेश में पीएमयूवाई की प्रगति

प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है योजना के तहत पात्र परिवारों को 15 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएमयूवाई 2.0 के शुभारंभ पर कहा। (हिंदुस्तान टाइम्स, 2021) यह जारी किए गए कनेक्शनों की सबसे अधिक संख्या को दर्शाता है भारत के किसी भी राज्य में पीएमयूवाई के तहत। राज्य सरकार ने इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएघ्मयूवाई, जिसमें शामिल हैं:

- योजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित पीएमयूवाई सेल की स्थापना करना और किसी भी चुनौती का समाधान करें।
- पात्र परिवारों को इसके बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित करना योजना क्या है और आवेदन कैसे करें।
- आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना तथा इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक सुलभ बनाना और गरीब परिवारों.
- एलपीजी वितरकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिल सके नए एलपीजी कनेक्शन संचालित करें। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में पीएमयूवाई का कवरेज बढ़ा है। हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश में पीएमयूवाई की प्रमुख उपलब्धियाँ

- बीपीएल परिवारों को 1.5 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं अगस्त 2021 तक यूपी में पीएमयूवाई।
- उत्तर प्रदेश में पीएमयूवाई के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी आधार है, जिसमें शामिल हैं लक्षित जनसंख्या का लगभग 90 प्रतिशत। इसका अर्थ है एक बड़ी आबादी को सशक्त बनाना राज्य में महिलाओं की संख्या।
- खाना पकाने के लिए बायोमास ईंधन के उपयोग में कमी आई है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण में सुधार हुआ है।

- महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर नियंत्रण देकर उन्हें सशक्त बनाया गया उनके खाना पकाने के ईंध ान पर।
- 2018 में, यूपी में नए एलपीजी कनेक्शनों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई पीएमयूवाई 30 लाख से अधिक।
- उत्तर प्रदेश में अधिकांश पीएमयूवाई कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ रही

पीएमयूवाई के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

सतत उपयोगः पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में से एक है पारंपरिक ईंधन की तुलना में एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करना। कई घरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों का उपयोग करने के आदी हैं और शायद नहीं देख पाते हैं एलपीजी पर स्विच करने की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त, एलपीजी रिफिल की सामर्थ्य भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। कुछ घरों के लिए यह एक बाधा बन गई है, जिसके कारण समय के साथ इसके उपयोग में गिरावट आई है।

वहनीयताः यद्यपि पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन की लागत को कवर करती है, फिर भी चल रही कुछ परिवारों के लिए रिफिल का खर्च अभी भी एक वित्तीय बोझ हो सकता है। इससे उपयोग में कमी या यहां तक कि पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों की ओर वापसी, योजना का उद्देश्य।

जागरूकता और शिक्षाः उचित एलपीजी के बारे में जागरूकता और शिक्षा का अभाव उपयोग और सुरक्षा प्रथाओं में गड़बड़ी भी पीएमयूवाई के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है। इससे संभावित जोखिम और दुर्घटनाएं हो सकती हैं, खासकर उन घरों में जहां एल.पी.जी. पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है।

बुनियादी ढांचाः दूरदराज या पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में एल.पी.जी. वितरण अवसंरचना के कारण लॉजिस्टिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

भौगोलिक बाधाएँः कुछ क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण भूभाग भी बाधा उत्पन्न कर सकता है पीएमयूवाई के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा। इससे एलपीजी के लिए मुश्किल हो सकती है वितरकों को दूरदराज के घरों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे योजना का प्रभाव सीमित हो गया।

वैकल्पिक ईंधनः कुछ मामलों में पारंपरिक खाना पकाने के तरीके अभी भी पसंद किए जा सकते हैं पारंपरिक व्यंजनों में एलपीजी की ओर पूर्ण परिवर्तन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

सांस्कृतिक स्वीकृतिः कुछ सांस्कृतिक संदर्भों में, पारंपरिक खाना पकाने के तरीके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है। यह प्रभावित कर सकता है इससे एलपीजी को अपनाने में कठिनाई होगी और पीएमयूवाई के लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।

दस्तावेजीकरणः सत्यापन के लिए दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं भी उत्पन्न हो सकती है हाशिए पर रहने वाले और प्रवासी समुदायों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इससे देरी हो सकती है इससे एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाई होगी और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आएगी।

सब्सिडी युक्तिकरणः सब्सिडी के वितरण को संतुलित करते हुए यह सुनिश्चित करना लाभार्थियों के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य हो सकता है। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। और यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करना कि योजना अपने इच्छित लाभार्थियों तक पहुंच रही है।

स्थिरताः पीएमयूवाई का दीर्घकालिक प्रभाव निरंतर निगरानी पर निर्भर करता है और बदलती जरूरतों के अनुकूल ढलना। इसके लिए निरंतर प्रयासों और संसाधनों की आवश्यकता है यह सुनिश्चित करना कि योजना लंबे समय तक प्रभावी बनी रहे।

अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज

1 अप्रैल 2014 को अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज 55.90 प्रतिशत था। 7.19 करोड़ एलपीजी पीएमयूवाई कनेक्शन के वितरण के साथ, अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज 1 मई 2016 (यानी पीएमयूवाई का शुभारंभ) के 61.90 प्रतिशत से बढ़कर 1 अप्रैल 2019 तक 94.30 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय रूप से, पीएमयूवाई के

शुभारंभ के बाद से एलपीजी कनेक्शनों में 9.87 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें से 7.19 करोड़ पीएमयूवाई/ई–पीएमयूवाई के कारण थे। हालाँकि इस योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के साथ ही एलपीजी कवरेज 1 मई 2016 को 62 प्रतिशत से बढ़कर 1 अप्रैल 2021 तक 99.8 प्रतिशत हो गया है। 2021–22 के केंद्रीय बजट के तहत, पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी गई है। 2019 की एक कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए औसत वार्षिक रिफिल खपत गैर–पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की तुलना में कम (लगभग आधी) रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस योजना के तहत नए कनेक्शन लगाने में देरी हुई है।

गरीब परिवारों द्वारा एलपीजी न लेने के कारण

IRADe, (2019) अध्ययन में गरीब परिवारों द्वारा एलपीजी न लेने के तीन कारण पाए गए: कुछ परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन/सिलेंडर रिफिल की लागत अभी भी बहुत अधिक हैय एलपीजी स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैय या गरीब परिवार सब्सिडी के लिए अपात्र हो सकते हैं। अन्य बाधाएं हैं–1. पीएमयूवाई एसईसीसी–2011 के डेटा के माध्यम से लक्ष्यीकरण पर आधारित है, जिसे कई विशेषज्ञ कई त्रुटियों के साथ अविश्वसनीय या अपूर्ण मानते हैं। 2. सामर्थ्य के संदर्भ में, पीएमयूवाई स्टोव या पहला रिफिल प्रदान नहीं करता है, बल्कि एलपीजी वितरकों को इनके लिए ऋण देने की अनुमति देता है, जिसे सब्सिडी के बिना बाजार एलपीजी कीमतों के माध्यम से चुकाया जाता है। जब ऋण का भुगतान किया जाता है, तो उन्हें एलपीजी पर सब्सिडी दी जाती है। 3. सब्सिडी प्राप्तकर्ताओं को अपना ''मुफ्त'' कनेक्शन प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने की आवश्यकता की खबरें आई हैं।

पीएमयूवाई के तहत सब्सिडी

सब्सिडी ऐसी नीतियां हैं जो स्वच्छ खाना पकाने के कनेक्शन और खपत के लिए उपभोक्ता मूल्य को सीधे कम करती हैं। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तांतरण, परित्यक्त राजस्व, बाजार मूल्य से कम पर वस्तुओं या सेवाओं का प्रावधान और विनियमन के माध्यम से आय और मूल्य समर्थन शामिल हैं (अग्रवाल एट अल. 2022)। सब्सिडी का मूल्य एलपीजी (आईआरएडीई, 2019) के बाजार मूल्य के आधार पर काफी भिन्न हो सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एलपीजी की कीमत खरीद के स्रोत के आधार पर भिन्न हो सकती है। जो परिवार तीन सरकारी तेल कंपनियों में से किसी एक के एलपीजी वितरक से आधिकारिक एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करते हैं, उनसे सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य लिया जाता है और उन्हें एलपीजी पहल (डीबीटीएल) सब्सिडी प्राप्त होती है। जो लोग खुले बाजार में काम करने वाले किसी निजी विक्रेता से एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं, उनसे अधिक कीमत ली जा सकती है और वे पहल (डीबीटीएल) रजिस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती है।

31 मार्च 2019 तक, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 7.19 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए थे, जो मार्च 2020 तक जारी किए जाने वाले आठ करोड़ कनेक्शनों के लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है। 7.19 करोड़ कनेक्शनों में से, 3.81 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पीएमयूवाई के तहत और 3.38 करोड़ ई–पीएमयूवाई के तहत 36 राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किए गए। अखिल भारतीय एलपीजी कवरेज भी मई 2016 के 61.90 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2019 में 94.30 प्रतिशत हो गया। सितंबर 2019 में, कार्यक्रम के अंत तक, सरकार ने दावा किया कि 8 करोड़ कनेक्शन सब्सिडी वाले थे। यह योजना आधिकारिक तौर पर मार्च, 2020 में समाप्त हो गई थी, लेकिन कोविड–19 महामारी को देखते हुए, सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 से च्डन्ल् लाभार्थियों को तीन मुफ्त स्च्ळ रिफिल प्रदान किए और इसे 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया। सितंबर, 2020 में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार ने स्च्ळ उपभोक्ताओं के लिए क्ठज्ज् मूल्य समर्थन वापस ले लिया था। सितंबर 2020 से क्ठज्ज् को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन मई 2022 में विशेष रूप से च्डन्ल् लाभार्थियों के लिए फिर से शुरू किया गया है (क्योंकि फरवरी और मार्च 2022 में यूक्रेन में युद्ध के जवाब में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू गई थीं)। इसके अलावा, अगस्त 2021 में, उज्ज्वला 2.0 योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य 90 प्रतिशत घरों तक स्च्ळ की पहुंच बढ़ाना है, जो 2020 में 85 प्रतिशत था (मणि एट अल। 2021 जीएसआई एवं आईआरएडीई 2019 और गुप्ता एट अल.2019 के अनुसार, किसी भी ईंधन को पर्याप्त रूप से सब्सिडी देना कठिन है, जिसे ''मुफ्त'' माना जाता है। पारंपरिक ईंधन के प्रति धारणाओं

और दृष्टिकोणों को संबोधित करने के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता हो सकती है (अंत में, सार्वभौमिक बुनियादी आय अनुदान के प्रभावों की खोज करने वाले अध्ययनों को यह जांचना चाहिए कि नकद हस्तांतरण ऊर्जा खपत के निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या सब्सिडी कार्यक्रमों को ऊर्जा खपत के निर्णयों से अलग करके स्वच्छ और आधुनिक ऊर्जा पर सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है (शर्मा एट अल.2019)। इसके अलावा, ऊर्जा सब्सिडी के प्रभाव, ऊर्जा क्षेत्र सुधार के प्रभाव और किसी भी सुधार से जुड़े व्यावहारिक या उचित शमन उपाय अत्यंत संदर्भ–विशिष्ट हैं।

अनुसंधान डिजाइनः वर्तमान अध्ययन में, अन्वेषणात्मक और वर्णनात्मक, दोनों प्रकार के शोध डिजाइन अपनाए गए हैं। अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे 'उज्ज्वला' योजना पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को दूर करने में योगदान दे रही है और कैसे एलपीजी खाना पकाने के समय और लागत को बचा रही है, साथ ही पर्यावरणीय गुणवत्ता और स्थिरता में भी सुधार ला रही है।

डेटा स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण के साथ–साथ द्वितीयक स्रोतों से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा एकत्र किए गए थे। योजना के लाभार्थियों का प्राथमिक डेटा क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के माध्यम से एकत्र किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, संबंधित नगरपालिका अधिकारियों से मदद ली गई थी। प्राथमिक डेटा के संग्रह के अलावा, द्वितीयक डेटा और प्रासंगिक साहित्य प्रकाशित, प्रलेखित और ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र किया गया है। विभिन्न खाना पकाने के स्रोतों पर डेटा पीएनजी मंत्रालय, भारत सरकार, एनएसएसओ, जनगणना और अन्य आधिकारिक स्रोतों, जिलेवार विकास संकेतक, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग, राज्य योजना संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, 2018 से संकलित किया गया था। इसके अलावा, उक्त विषय पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक पुस्तकालयों का भी दौरा किया गया। इसके अलावा, कुछ संबंधित जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की गई। विषय पर पिछले अध्ययनों के अलावा, शोध विषय में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षणों और रिपोर्टों का भी गंभीर रूप से विश्लेषण किया गया है।

निष्कर्षः क्षेत्र सर्वेक्षण करने और लाभार्थियों के साथ–साथ गैर–लाभार्थियों से डेटा एकत्र करने के लिए, दो साक्षात्कार अनुसूचियां (एक उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए और दूसरी गैर–लाभार्थियों के लिए) विकसित की गईं और उनका पायलट परीक्षण किया गया (साक्षात्कार अनुसूची की एक प्रति अनुलग्नक में दी गई है)। साक्षात्कार अनुसूची पारंपरिक खाना पकाने के स्टोव और एलपीजी स्टोव की दक्षता, ईंधन की खपत और इस धारणा पर केंद्रित है कि खाना पकाने के विभिन्न स्रोत स्वास्थ्य, बचत और व्यय को कैसे प्रभावित करते हैं। कुछ प्रश्नों में पीएमयूवाई पर लाभार्थियों की धारणा को मापने के लिए लिकर्ट स्केल का इस्तेमाल किया गया। साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए अवलोकन किए गए और नोट्स लिए गए। इसके अलावा, ईंधन के उपयोग के वर्तमान परिदृश्य की जांच करने, पारंपरिक बनाम द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के बारे में दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और मान्यताओं का आकलन करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण के समय गहन साक्षात्कार और 'केंद्रित समूह चर्चा' भी की गई। स्वच्छ ईंधन और घर के अंदर वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता के बारे में प्रतिक्रियाओं की आवृत्ति के वितरण और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बारे में लाभार्थियों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाले गए। इसके बाद, परिणाम और निष्कर्ष निकाले गए, और अध्ययन के निष्कर्षों को दर्शाने के लिए एक अंतिम शोध रिपोर्ट तैयार की गई।

हाल ही में शुरू की गई उज्ज्वला योजना ने शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित किया है। हालाँकि, प्रथम दृष्टया जो भी अध्ययन किए गए हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अधिकांशतः लाभार्थियों की संख्या तक ही सीमित रहे हैं। इसके अलावा, पिछले अध्ययनों में ईंधन उपयोग के पैटर्न में ग्रामीण–शहरी भिन्नताओं (संयुक्त रूप से या अलग–अलग) पर ही विचार किया गया था। चूँकि, विशेष रूप से उपनगरीय क्षेत्रों में अनुभवजन्य आँकड़ों का अभाव है, इसलिए यह अध्ययन उपनगरीय दृष्टिकोण का उपयोग करके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उज्ज्वला योजना के प्रभाव को समझने के लिए किया गया है। यह ईंधन के उपयोग के सामाजिक–आर्थिक निर्धारकों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्थिरता पर उज्ज्वला योजना के प्रभाव को समझने में भी मदद करता है। नीति निर्माताओं के लिए एलपीजी के निरंतर उपयोग के लिए योजना में सुधार लाना लाभदायक होगा, जिससे महिलाओं को खाली समय मिलेगा और उनका सामाजिक–आर्थिक विकास होगा।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and

conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ–

1. टी. अमोस और श्रीदेवी एन. (2017), भारत की केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना (पीएमयूवाई) योजना का आर्थिक मूल्यांकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट रिसर्च, 9, 60747–60750।
2. देसाई ए0 आर0 (1964) : भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, जयपुर : अनु0 रावत, रावत ब्रदर्स, राजस्थान।
3. दूबे, एस0 सी0 (1975) : एक भारतीय ग्राम (अनु0 योगेश अटल), दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
4.. लक्ष्मी राम (1977) : एक ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य की दशाओं का समाज–वैज्ञानिक अध्ययन, वाराणसी : पी0एच0डी0, शोध प्रबन्ध, समाजशास्त्र विभाग, बी0 एच0यू0।
5. शर्मा, रमा; मिश्रा, एम०के०; भारतीय समाज में कार्यशील महिलायें; अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस; नई दिल्ली (2020) पृ०–58–59.
6. वर्मा अंजली; भारत में कार्यशील महिलायें, ओमेंगा पब्लिकेशन नई दिल्ली (2013) पृ०–64.
7. .गुप्ता, कमला; भारतीय नारी (प्रारम्भ से 2000ई० तक), जानकी प्रकाशन (नई दिल्ली) (2012) पृ०–05.
8.. शर्मा, रमा; मिश्रा; एम०के०; भारतीय समाज में कार्यशील महिलायें, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली (2020) पृ०–64.
9. एन. अहमद, शर्मा, एस. एट अल. (2018), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) भारत में सामाजिक समावेशन की ओर कदम। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड अन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 5, 46–49।
10. आनंद. वी. (2018), उज्ज्वला योजना के दो सालः पश्चिमी यूपी में दलित भूमि लाभ समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र के खिलाफ मुद्दे।

Cite this Article

'महेन्द्र प्रताप सिंह; डॉ0 रश्मि पाण्डेय',' "पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की भूमिकाः समाजशास्त्रीय विश्लेषण", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:10, October 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i1000015

Published Date- 05 October 2025